न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास राजेश कुमार मीणा, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 85 / 2019 / 151 सीपीसी

1. हरदेवाराम पुत्र खांगाराम जाति जाट निवासी सांगलिया तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

– प्रार्थी

बनाम

1 तहसीलदार महोदय, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अं0 धारा 151 सीपीसी

उपस्थिति–

1. श्री मूलचन्द धायल वकील प्रार्थी की ओर सें।
2. अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षिय कार्यवाही की गयी।

निर्णय **दिनांक –20.01.2021**

1 आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक आवेदन श्रीमान् तहसीलदार साहब को प्रार्थी की खरीदशुदा भूमि खसरा नम्बर 843, 845 किता 2 कुल रकबा 4.20 हैक्टर वाके ग्राम परशरापुरा पटवार हल्का सांगलिया तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में से 5 / 14 यानि सम्पूर्ण में से 5 / 42 हिस्से की 0.50 हैक्टर का नामान्तरण जरिए विक्रय पत्र दिनांक 01.12.1997 को भरने तथा शेष रही भूमि पर खातेदार मगनकंवर के विरासत नामान्तरण संख्या 201 दिनांक 19.09.2019 की कार्यवाही कर तस्दीक करने बाबत् दिया गया। जिस पर श्रीमान् तहसीलदार साहब ने मात्र पटवारी हल्का को जांच कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश प्रदान किये गये। प्रक्रियाधीन नामान्तरण संख्या 201 दिनांक 19.09.2019 की कार्यवाही स्थगित नहीं की है। इस दौरान यदि नामान्तरण संख्या 201 दिनांक 19.09.2019 तस्दीक हो जाता है तो प्रार्थी के नामान्तरण कार्यवाही में व्यवधान होने की प्रबल संभावना है और मुकदमें (नामान्तरण निरस्तीकरण व उदघोषणा करने खातेदार का वाद) बढने की संभावना है। अभी तक खातेदारी विक्रेत्री मगनकंवर के नाम है इसलिए प्रार्थी की खरीदशुदा सम्पदा का नामान्तरण कार्यवाही पूर्ण होने तक नामान्तरण संख्या 201 दिनांक 19.09.2019 की कार्यवाही (तस्दीक कार्यवाही) स्थगित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अन्त में यह इस्तदुआ चाही कि आवेदन अंतर्गत धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण कार्यवाही करने व खातेदार मगनकंवर पत्नि स्व. हरिसिंह के विरासत की कार्यवाही

प्रक्रियाधीन नामान्तरण संख्या 201 दिनांक 19.09.2019 की तस्दीक कार्यवाही प्रार्थी के नामान्तरण तक स्थगित करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

2 आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गयी। आवेदन अंतर्गत धारा 151 सीपीसी पर बहस वकील प्रार्थी की सुनी गयी।

3. आवेदन अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पर सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र अंन्तर्गत धारा 151 सीपीसी तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी हरदेवाराम का आवेदन में मुख्य रूप से अपने आवेदन में वर्णित भूमियों के विक्रय पत्र व विरासत के नामान्तकरण को रूकवाने के सम्बन्ध में निवेदन किया है किन्तु आवेदन में वर्णित विक्रय पत्र व विरासत के संबंध में कही पर भी व इस न्यायालय में कोई वाद लम्बित होने के संबंध में कथन नहीं किया है। इसलिए बिना किसी वैध आधार के व बिना किसी दावा व अन्य विधिक प्रकिया के विचारण के बिना आवेदन में चाहा गया अनुतोष प्रार्थी प्राप्त करने का विधिक रूप से अधिकार हासिल नहीं रखता है। इसलिए प्रार्थी का आवेदन सारहीन होने से खारिज योग्य है। अतः प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सें कम व दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20-01 .2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ